( राजस्थान–सरकार )

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

**प्रकरण संख्या :– 33/2012**

**बउनवान**

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारॉ (राज.)

**( प्रार्थी )**

**बनाम**

1– भंवरिया पुत्र अमरा जाति चमार निवासी काबरखोह तहसील छबडा जिला बारॉ **(मृतक)**
1/1 धूल्या पुत्र भंवरिया जाति चमार निवासी इन्द्रागांधी नगर डी.सी.एम. कोटा
1/2 मथुरा पुत्र भंवरिया जाति चमार निवासी काबखोह तहसील छबडा जिला बारॉ
1/3 कजोड पुत्र पुत्र भंवरिया जाति चमार निवासी काबखोह तहसील छबडा जिला बारॉ
1/4 गेंदीबाई पुत्री पुत्र भंवरिया जाति चमार निवासी काबखोह तहसील छबडा जिला बारॉ
1/5 शांतीबाई पुत्री पुत्र भंवरिया जाति चमार निवासी काबखोह तहसील छबडा जिला बारॉ
1/6 बदामबाई पुत्री पुत्र भंवरिया जाति चमार निवासी काबखोह तहसील छबडा जिला बारॉ
1/7 बसमीबाई पुत्री भंवरिया जाति चमार निवासी काबखोह तहसील छबडा जिला बारॉ

**( अप्रार्थीगण )**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– पेरोकार सरकार **( प्रार्थी )**
2– अनुपस्थित **( अप्रार्थीगण )**

निर्णय दिनांक 9.12.2019

राजस्थान सरकार जर्ये :– प्रार्थी तहसीलदार छबडा ने रेफरेंस केस अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अप्रार्थी के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम काबरखोह तहसील छबडा की भूमि खसरा नम्बर 56 रकबा 0.11 हेक्टयर भूमि किस्म गैर मुमकीन नाला मुताबिक रेकार्ड खतौनी बन्दोवस्त सम्वत् 2012–2031 मे खाता सरकार मे सिवायचक दर्ज रेकार्ड थी। उपरोक्त वर्णित भूमि भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व 88 (2) के अनुसार सरकार के स्वामित्व की ही भूमि है तथा ऐसी भूमियो का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 मे किसी भी प्रकार से आवंटन/नियमन करना वर्जित है।

उक्त ग्राम काबरखोह की भूमि खसरा नम्बर 56 रकबा 0.11 हेक्टयर भूमि उपखण्ड अधिकारी छबडा द्वारा भंवरिया पुत्र अमरा जाति चमार निवासी काबरखोह तहसील छबडा के हक मे दिनांक 11.1.1969 को नियमन/आवंटन की गयी है तथा वर्तमान मे उक्त विवादित आराजी राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2065–68 मे हैसियत खातेदार भंवरिया पुत्र अमरा जाति चमार निवासी काबरखोह के नाम दर्ज है।

उपरोक्त आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत अवैधानिक है तथा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या [illegible] अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 2.8.2004 से ऐसी आराजी को पुनः पूर्ववत स्थिति मे दर्ज किया जाना है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध है कि उपरोक्त आवंटन को खारिज फरमावे। ताकि भूमि को पूर्व की स्थिति अनुसार दर्ज किया जा सके।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.03.01 13:28:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर रेफरेंस दिनांक 20.11.2012 को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी के फोत हो जाने के कारण उसके कायम मुकामान की सूची तलब की गई। जिसके अनुसार अप्रार्थी के कायम मुकामान क्रम 1/1 ता 1/7 को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया है। जिनके इस न्यायालय मे बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर, उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाकर, प्रकरण मे बहस एकपक्षीय पेरोकार सरकार की सुनी गई।

**बहस के दौरान पेरोकार सरकार** ने कहा कि जो भूमि किस्म गैर मुमकीन नाला अप्रार्थी को आवंटन की गई है। वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन योग्य नही है। रेकार्ड व मौके पर विवादित भूमि गैर मुमकीन नाला अवस्थित है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 2.8.2004 से ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना है। अतः आवंटन निरस्त फरमाया जावे। ताकि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की पालना की जा सके।

**मेरे द्वारा प्रकरण मे पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस को सुना** व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का भी अवलोकन किया, अप्रार्थी को नियमन/आवंटन की गई भूमि ग्राम काबरखोह तहसील छबडा जिला बारॉ जिसके खसरा नम्बर 56 रकबा 0.11 है। जो सम्वत् 2012 मे भी राजस्व रिकार्ड मे किस्म भूमि गैर मुमकीन नाला था, वह भी विद्यमान है। वह आवंटन/नियमन योग्य नही है। उक्त रकबा अप्रार्थी को किस्म गैर मुमकीन नाला का आवंटन/नियमन किया गया है, जो विधि अनुरूप न होने से प्रारम्भतः ही शून्य है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 2.8.2004 से ऐसी आराजी को पुनः पूर्ववत स्थिति मे दर्ज किये जाने के निर्देश माननीय उच्च न्यायालय बैंच जोधपुर ने दिये है।

परिणाम स्वरूप राजस्थान सरकार जर्ये प्रार्थी तहसीलदार छबडा द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य माना जाकर ग्राम काबरखोह तहसील छबडा जिला बारॉ के खसरा नम्बर 56 की रकबा 0.11 हेक्टयर भूमि किस्म गैरमुमकीन नाला अप्रार्थी को नियमन/आवंटन की गई है। जिसको निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेंस प्रार्थना पत्र मूल ही बाद अनुशंषा माननीय न्यायालय निबन्धक, राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो। तहसीलदार छबडा को निर्देशित किया जाता है कि इस न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर, राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क स्थापित कर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर मे रेफरेंस प्रस्तुत करवाकर प्रकरण मे सावचेत होकर पैरवी करना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 9.12.2019 को मेरे द्वारा इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.03.01 13:28:46 IST
Reason: SelfAttested

( मोहम्मद अबूबक्र )
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2020.01.08 15:28:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: